भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1880

दिनांक 03.08.2016/12 श्रावण, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

उत्तर तटीय आन्ध्र स्वायत्त परिषद्

1880. डॉ0 टी. सुब्बारामी रेड्डीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को पैकेज के साथ-साथ विकासात्मक गतिविधियों पर जोर देने के लिए उत्तर तटीय आन्ध्र स्वायत्त परिषद् के गठन की मांग करते हुए कोई ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए एक लक्ष्यित दृष्टिकोण अपनाए जाने हेतु सरकार द्वारा कौन से कदम उठाये जाने का विचार है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) और (ख): जी, नहीं। सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग): व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार परः-

i. **आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 46(2), 46(3) और 94(2) के अधीन किए गए प्रावधानों के संबंध में संघ सरकार रायल सीमा तथा उत्तर तटीय क्षेत्र सहित इन राज्यों के 7 पिछड़े जिलों के लिए विकास कार्यक्रमों के लिए विशेष सहायता प्रदान कर रही है। नीति आयोग की सिफारिश के आधार पर, अभी तक रायल सीमा तथा उत्तर तटीय क्षेत्र को कवर करते हुए राज्यों के 7 पिछड़े जिलों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को अभी तक प्रति जिला 50 करोड़ रुपये वार्षिक की दर से 700 करोड़ रुपये की राशि वर्ष 2014-15 के दौरान (350 करोड़ रुपये) और वर्ष 2015-16 के दौरान (350 करोड़ रुपये) जारी की गई है।**

ii. **अवसंरचना एवं विकास संबंधी अन्य उपायों के अलावा नीति आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर संसाधन के अंतर के मामले के हल के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को विशेष सहायता प्रदान करने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार को कुल 2,803 करोड़ रुपये की विशेष सहायता दी गई है, जो वर्ष 2014-15 के दौरान (2,303 करोड़ रुपये) और वर्ष 2015-16 के दौरान (500 करोड़ रुपये) की राशि के रुप मे जारी की गई है।**